

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प ..... 25 .....

-: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का काशरारा व भू.अ.नि. शिवावती की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम लावण्डा तहसील रामगढ़-शेखावाटी व जिला सीकर की जमाबन्दी सम्बत् 2074-77 में खाता संख्या 31 (नमा) 133 (319) में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	लावण्डा	31 <del>काशरारा नमा</del> 185, 186, 242, 243, 244, 435	गौजू खां पुत्र उमोद खां	मौजू खां पुत्र उमोद खां रहन पकिष्ठी मयावत शेखी

श्री  
पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

क्रमांक: 1704  
21/5/18

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार रामगढ़-शेखावाटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2. प्रार्थी श्री मौजू खां पुत्र उमोद खां को सूचनाथी।

3. रक्षित पत्रावली।

श्रीवासी लावण्डा

श्री  
पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

ms